

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्राची के " खाता दुरुस्ती " प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

जोरवारपुरा व भू-अभिलेख निरीक्षक बागौर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व पटवार हल्का जोरवारपुरा तहसील में खाता संख्या 30.14.15 वर्तमान दर्ज प्रविष्टि 95

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	दौलतपुरा	30.14.15, 95	सांवरिया फ़िा दयाराम जाट	सांवरमाल पिता दयाराम जाट

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा
दिनांक:- 13.8.20

क्रमांक / न्यायालय / 2020
प्रतिलिपि:- 138

- 1- तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2- प्रार्थी श्री सांवरमाल पिता दयाराम जाट नि. दौलतपुरा तहसील - माण्डल

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

